/2015

001.jpg

संख्या–4613 / 71–2–15–एम–39 / 2015

प्रेषक,

नीलेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

सचिव,
स्टेट मेडिकल फैकल्टी
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 17 दिसम्बर, 2015

विषय:– अब्दुल वाहिद एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित ग्लोकल कालेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, दिल्ली–यमुनोत्री मार्ग, राजमार्ग–57, मिर्जापुर पोल, सहारनपुर में डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी व हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण में अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 12681 / 2015, दिनांक 11.12.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र में उल्लिखित तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरान्त अब्दुल वाहिद एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित ग्लोकल कालेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, दिल्ली–यमुनोत्री मार्ग, राजमार्ग–57, मिर्जापुर पोल, सहारनपुर को डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी व हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण में 60–60 छात्र प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन अनिवार्यता प्रमाण–पत्र / अनापत्ति प्रदान की जाती है:–

5 संस्था द्वारा एक वर्ष के अन्दर प्रशिक्षण हेतु सभी मानक / औपचारिकताएं पूर्ण कर इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली से निरीक्षण कराकर अनुमति / मान्यता प्राप्त कर प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की कार्यवाही की जाय।

6 इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा निरीक्षणोपरान्त संस्था को जितनी सीट अनुमन्य की जायेंगी उतनी ही सीटों पर संस्था द्वारा प्रवेश लिया जायेगा।

7 संस्था द्वारा राज्य सरकार / उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी तथा इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण के संबंध में समय समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों / मानकों का अनुपालन पूर्णतः सुनिश्चित किया जायेगा।

8 संस्था का उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा प्रत्येक तीसरे वर्ष निरीक्षण कराया जायेगा। यदि संस्था द्वारा उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी / राज्य सरकार / इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली के किसी भी दिशा निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो संस्थान की अनापत्ति / मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

2– कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या 4613(1) / 71–2–15–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1 सचिव, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
2 महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
3. प्रबन्धक, अब्दुल वाहिद एजुकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित ग्लोकल कालेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, दिल्ली–यमुनोत्री मार्ग, राजमार्ग–57, मिर्जापुर पोल सहारनपुर।
4 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

Scanned with OKEN Scanner